डायरी संख्या

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या : 821/2017

मुकेश कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान पुलिस महानिदेशक, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : स्वयं

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा त्रुटि सुधार प्रार्थना पत्र दिनांक 01.03.2024 को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर बहस सुनी एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया। अधिकरण द्वारा अपील संख्या 821/2017 मुकेश कुमार बनाम राजस्थान पुलिस महानिदेशक जयपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2023 में विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आदेश के पृष्ठ संख्या 6 में अपील स्वीकार करते हुये आलोच्य आदेश दिनांक 10.05.2017 को अपास्त किया गया था। जबकि अपील में आदेश दिनांक 10.05.2017 के साथ–साथ आदेश दिनांक 03.04.2017 को भी अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गई थी। परंतु त्रुटिवश आदेश दिनांक 03.04.2017 का उल्लेख होने से रह गया है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उक्त त्रुटि सुधार हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त त्रुटि को संशोधित किया जाए।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.2023 में पृष्ठ संख्या 6 में अपील स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 10.05.2017 को अपास्त किया गया है, जिसे *"आदेश दिनांक 10.05.2017 के साथ–साथ आदेश दिनांक 03.04.2017 को भी अपास्त मानते हुये, पढ़ा जावे।"* उपर्युक्त संशोधन/सुधार मूल आदेश में लाल स्याही से किया जाता है।

शेष मूल आदेश पारित दिनांक 21.07.2023 यथावत रहेगा। त्रुटि सुधार प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)